संoसंo–1/मoकॉo–02/2017– 78(1)का

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,
राजकीय मेडिकल कॉलेज,
मधेपुरा।

पटना, दिनांक– 05-01-2018

विषयः– राजकीय मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा को विपत्र कोड–20–2210051050024 में **स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यालय व्यय मद में पुनर्विनियोग से प्राप्त रु0 3,50,000/– मात्र तथा आय–व्ययक से प्राप्त विभिन्न मदों में रु0 3,55,000/–मात्र अर्थात् कुल रु0 7,05,000/–(रुपये सात लाख पाँच हजार) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा के पत्रांक–58, दिनांक–27.12.2017 के आलोक में राजकीय मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा को विपत्र कोड–20–2210051050024 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में संलग्न विवरणी के अनुसार कार्यालय व्यय मद में पुनर्विनियोग से प्राप्त रु0 3,50,000/– मात्र तथा आय–व्ययक से प्राप्त विभिन्न मदों में रु0 3,55,000/– मात्र अर्थात् कुल रु0 7,05,000/–(रुपये सात लाख पाँच हजार) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि0(2), दिनांक–17.04.98, 2356/वि0(2), दिनांक 12.04.06 एवं 2938/वि0(2), दिनांक 08.04.08, एवं 3388/वि0(2), दिनांक–18.04.2011 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–0024–राजकीय मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा विपत्र कोड–20–2210051050024 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में पुनर्विनियोग से प्राप्त स्वीकृत्यादेश सं0–1481(1), दिनांक–26.12.2017 द्वारा एवं आय–व्ययक में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

क्रमशः

6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

7. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्त्तों के तहत् किया जाएगा।

8. **इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि बकाये की निकासी** पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।

9. **इस राशि की निकासी जिला कोषागार, मधेपुरा से की जाएगी।**

10. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

11. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 03/1/18

(सच्चिदानन्द चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–1/म0कॉ0–02/2017–78(1)स्वा0 /स्वा0, पटना, दिनांक– 05-01-2018

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रमण्डलीय आयुक्त, सहरसा/जिलाधिकारी, मधेपुरा/कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1/संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 3/1/18

सरकार के विशेष सचिव

राजकीय मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा, विपत्र कोड–20–2210051050024 को वित्तीय वर्ष 2017–18 में राशि का अतिरिक्त आवंटन

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	पुनर्विनियोग से प्राप्त उपबंध	कुल उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष आवंटन
0024.01.01 वेतन	700000	0	700000	525000	150000	675000	25000
0024.01.03 जीवन यापन भत्ता	850000	0	850000	637500	25000	662500	187500
0024.01.04 मकान किराया भत्ता	350000	0	350000	262500	15000	277500	72500
0024.01.06 चिकित्सा भत्ता	50000	0	50000	37500	5000	42500	7500
0024.01.07 अन्य भत्ता	50000	0	50000	37500	5000	42500	7500
योग– वेतन एवं भत्ते	**2000000**	**0**	**2000000**	**1500000**	**200000**	**1700000**	**300000**
0024.13.01 कार्यालय व्यय	200000	350000	550000	100000	450000	550000	0
0024.13.03 दूरभाष	25000	0	25000	12500	5000	17500	7500
0024.21.01 सामग्री एवं पूर्तियां	100000	0	100000	50000	50000	100000	0
कुल योग :–	**2325000**	**350000**	**2675000**	**1662500**	**705000**	**2367500**	**307500**

(रुपये सात लाख पाँच हजार)

78(1) का
05-01-2018

3/1/18

सरकार के विशेष सचिव

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञाप संख्या–1/म0कॉ0–03/2017– 1481(1)/स्वा0, पटना, दिनांक–26/12/2017

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

*द्वारा–वित्त विभाग

विषयः– माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–0024–राजकीय मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा विपत्र कोड–20–2210051050024 में वित्तीय वर्ष 2017–18 में 0024.13.01 कार्यालय व्यय में रू0 3,50,000/–(रुपये तीन लाख पचास हजार) मात्र पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश– वित्तीय नियमावली भाग–1 के नियम 489 के अन्तर्गत स्वीकृत ।

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष अन्तर्गत 0024.13.01 कार्यालय व्यय में रू0 3,50,000/–(रुपये तीन लाख पचास हजार) मात्र की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

2. उक्त राशि माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–0024–राजकीय मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा विपत्र कोड–20–2210051050024 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा (विवरणी संलग्न)।

3. संबंधित वित्त विभाग के परिपत्र सं0– 2561 वि0(2) दिनांक 17.04.98, परिपत्र सं0 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007 एवं 2398 वि0(2) दिनांक 08.04.08 में निदेशित प्रक्रिया के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

6. प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

7. प्रस्ताव एवं प्रारूप में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/- 26/12/17
(सच्चिदानन्द चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–1/म0कॉ0–03/2017– 1481(1) /स्वा0, पटना, दिनांक–26/12/2017

प्रतिलिपि– वित्त विभाग, बजट शाखा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा–1 को अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 26/12/17
सरकार के विशेष सचिव